

प्ररूप सं. 15छ

[धारा 197क(1), 197(1क) और नियम ख देखें]

कर की कटौती के बिना कतिपय प्राप्तियों का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा (जो कोई कंपनी या फर्म न हो) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क(1) और धारा 197क(1क) के अधीन की जाने वाली घोषणा

भाग 1

1. निर्धारिती (घोषणाकर्ता) का नाम		2. निर्धारिती का स्थायी लेखा सं.			
		3. निर्धारण का वर्ष (जिसके लिए घोषणा की गई है)			
4. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.	5. परिसर का नाम	6. #प्रास्थिति			
		7. जिस वार्ड/सर्किल में निर्धारित			
8. मार्ग/गली/लेन	9. क्षेत्र/अवस्थान	10. ए.ओ. कोड (जिसके अधीन पिछले समय निर्धारित किया गया)			
		क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	श्रेणी कोड	एओ सं.
11. नगर/शहर/जिला	12. राज्य	14. पिछला निर्धारण वर्ष जिसमें निर्धारित किया गया			
	13. पिन				
15. ई-मेल	16. टेलीफोन सं. (एसटीडी कोड के साथ और मोबाइल सं.)	17. वर्तमान वार्ड/सर्किल			
		18. आवासीय प्रास्थिति (आयकर अधिनियम)			
19. कारबार/व्यवसाय का नाम		20. वर्तमान एओ संकेतकी (यदि उपरोक्त जैसा नहीं है)			
21. अधिकारिता मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का निर्धारण नहीं हुआ)		क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	श्रेणी कोड	एओ सं.
22. नीचे वर्णित स्रोतों से अनुमानित कुल आय कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का निशान लगाएं।					

(कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का निशान लगाएं)

अनुसूची 1 में निर्दिष्ट शेयर से लाभान्श	
अनुसूची 2 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज	
अनुसूची 3 में निर्दिष्ट धनराशि पर ब्याज	
अनुसूची 4 में निर्दिष्ट से आय	
23. अनुसूची 5 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय बचत योजना से धारा 80गगक(2)(क) में निर्दिष्ट निकाली गई रकम	

24. पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 22 में वर्णित आय को समाविष्ट किया जाना है।

अनुसूची 1

(शेयरों का ब्यौरा, जो घोषणाकर्ता और उसके द्वारा स्वयं के फायदेप्रद के नाम में है)

शेयरों की संख्या	शेयरों का वर्ग और मूल्य प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल मूल्य	शेयरों के सुभिन्न संख्यांक	वह तारीख (तारीखें) जिसकी (जिनकी) घोषणाकर्ता और उसके द्वारा स्वयं के फायदेप्रद के नाम में धारित प्रतिभूतियों का ब्यौरा (दिदि/मम/वववव)

अनुसूची 2

(घोषणाकर्ता और उसके द्वारा स्वयं के फायदेप्रद के नाम में धारित प्रतिभूतियों का ब्यौरा)

प्रतिभूतियों का वर्णन	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूतियों की रकम	प्रतिभूतियों की तारीख (तारीखें)	वह तारीख (तारीखें) जिसकी (जिनकी) घोषणाकर्ता द्वारा प्रतिभूतियां

			(दिदि/मम/वववव)	अर्जित की गई (दिदि/मम/वववव)

अनुसूची 3

(घोषणाकर्ता द्वारा ब्याज पर दी गई रकम का ब्यौरा)

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको ब्याज पर धनराशि दी गई	ब्याज पर दी गई धनराशि की रकम	वह तारीख जिसको ब्याज पर धनराशि दी गई (दिदि/मम/वववव)	अवधि जिसके लिए ब्याज पर धनराशि दी गई	ब्याज की दर

अनुसूची 4

(घोषणाकर्ता और उसके द्वारा स्वयं के फायदेप्रद के नाम में धारित पारस्परिक निधि यूनियों का ब्यौरा)

पारस्परिक निधि का नाम और पता	यूनियों की संख्या	यूनियों का वर्ग और प्रत्येक यूनित का अंकित मूल्य	यूनियों का सुभिन्न संख्यांक	यूनियों की बाबत आय

अनुसूची 5

(राष्ट्रीय बचत स्कीम से निकाली गई रकम का ब्यौरा)

उस डाकघर की विशिष्टियां जहां पर राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाता रखा गया है और खाता संख्यांक	वह तारीख जिसको खाता खोला गया (दिदि/मम/वववव)	खाते से निकाली गई रकम

.....
**घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा/सत्यापन

*मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर किए गए कथन सही, पूर्ण और सत्य हैं।

*मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस प्ररूप में निर्दिष्ट आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है।

*मैं/हम और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी कुल अनुमानित आय पर कर, उपरोक्त स्तंभ 22 में निर्दिष्ट आय/आयों सहित, आयकर अधिनियम, 1961, के उपबंधों के अनुसार संगणित, पूर्व वर्ष के लिए की समाप्ति पर निर्धारण के वर्ष से सुसंगत के लिए शून्य होगा। *मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी उपरोक्त स्तंभ 22 में निर्दिष्ट पूर्व वर्ष की समाप्ति पर निर्धारण के वर्ष से सुसंगत अधिकतम रकम जो कि आयकर के लिए प्रभाय नहीं है से अधिक नहीं होगी।

स्थान :
तारीख :	(घोषणाकर्ता को हस्ताक्षर)

भाग 2

(उस व्यक्ति के प्रयोग के लिए जिसे घोषणा प्रस्तुत की जाए)

1. भाग 1 के स्तंभ 22 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी उस व्यक्ति का नाम	2. भाग 2 के स्तंभ 1 में इंगित व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या
3. पूरा पता	4. भाग 2 के स्तंभ 1 में इंगित व्यक्ति की अस्थायी लेखा संख्या
5. ई-मेल	6. टेलीफोन सं. (एसटीडी कोड)
	7. प्रास्थिति

		और मोबाईल सं.
8. वह तारीख जिसको घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा प्रस्तुत की गई (दिदि/मम/वववव के रूप में)	9. वह अवधि जिसके संबंध में लाभांश की घोषणा की गई है या आय क्रेडिट या संदत्त की जा रही है	10. संदेय आय की धनराशि	11. वह तारीख जिसको आय क्रेडिट या संदत्त की जा रही है (दिदि/मम/वववव)
12. लाभांश की घोषणा उनके वितरण या संदाय/राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाता सं. से निकाले की तारीख (दिदि/मम/वववव के रूप में)		13. राष्ट्रीय बचत स्कीम का खाता संख्यांक जिससे रकम निकाली गई है।	

मुख्य आयकर आयुक्त या आय कर आयुक्त को अग्रपिपित की गई

स्थान :
तारीख :	आयकर संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के जिसे भाग 1 के स्तंभ 22 में निर्दिष्ट किया गया है, हस्ताक्षर

टिप्पण :

- घोषणा दो प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- *जो लागू न हो उसे काट दें।
- #धारा 197क(1) के अधीन घोषणा किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है और धारा 197क(1) के अधीन कोई व्यक्ति (जो कोई कंपनी या फर्म न हो) के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।
- **उस हैसियत का उल्लेख करें जिसमें हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम आदि की ओर से घोषणा की जाती है।
- सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व घोषणाकर्ता को स्वयं यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई सूचना सत्य, ठीक और सभी प्रकार से पूर्ण है। घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध पर वह—
 - उस दशा में जहां अपवंचन किए जाने का ईप्सित कर पच्चीस लाख से अधिक है, छह मास से अन्यून अवधि के ऐसे कठोर कारावास से जो सात वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा
 - किसी अन्य दशा में, 3 मास को अन्यून अवधि के ऐसे कठोर कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।
- आयकर संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जिसे भाग 1 के स्तंभ 22 में निर्दिष्ट किया गया है जहां आय की रकम की प्रकृति को धारा 197क की उपधारा (1क) या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, घोषणा स्वीकार नहीं करेगा या पूर्व वर्ष के दौरान इस प्रकार की आय क्रेडिट या संदत्त या संभाव्यता क्रेडिट या संदत्त होने वाली संकलित रकम जिसमें इस प्रकार की आय को सम्मिलित किया जाना है, अधिकतम रकम जो कि आयकर के लिए प्राभार्य नहीं है, से अधिक होगी।